"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2002—श्रावण 12, शक 1924

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ ए. 5-6/2002/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में :—

(1) नियम 2 में अनुक्रमांक छ: -ग्यारह-उद्योग एवं खनिज विभाग-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन भाग (अ) में, अनुक्रमांक 22 अ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा प्रविष्टि अत: स्थापित की जायें, अर्थात् :—

"22 ब—जैव प्रौद्योगिकी :— छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), जैव प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नोडल एजेंसी रहेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक एफ ए. 5-6/2002/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए. 5-6/2002/1/एक, दिनांक 3 अगस्त, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd August 2002

NOTIFICATION

No. F A. 5-6/2002/1/I.—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule :—

(1) In the rule-2, Under the heading-Six-Eleven-Commerce & Industries Department in Part-B after No. 22 A, following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

"22 B-Bio-Technology :— Infotech promotion Society (CHiPS) of Chhattisgarh will be the nodal agency of State Government to promote Bio-Technology"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
STEPHEN XALXO, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.